संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्य प्रदेश

क्र./आई.डी.एस.पी/2020/ 918 भोपाल, दिनांक 23/06/2020

प्रति,

1. समस्त सम्भागायुक्त, मध्य प्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश।
4. समस्त नगर निगम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिलापंचायत/जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।

विषय:- सामाजिक समारोह में कोविड-19 के संचरण को रोकने हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भ:- गृह मंत्रालय, भारत शासन का आदेश क्र./40-3/2020/DM-I(A) दिनांक 30.05.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि लॉकडाउन में दी जा रही छूट उपरांत समाजिक समारोह जैसे कि शादी समारोह, शव दाह, शोक सभा आदि का आयोजन किया जा रहा है. उक्त सम्बंध में दिशा निर्देश के माध्यम से सामाजिक समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

1. केवल कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर ही सामाजिक समारोह के आयोजन की अनुमति प्रदान की जाना है।
2. यहसुनिश्चित किया जाये कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर आयोजित होने वाले शादी समारोह में 50 से अधिक व शव दाह एवं शोक सभा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित न हो।
3. ऐसे व्यक्ति जो कंटेनमेंट क्षेत्र में निवास करते हो या विगत 14 दिवस के अंतराल में किसी भी कोविड-19 पॉज़िटिव केस के सम्पर्क में आये हो,आयोजन में सम्मिलित न हो।
4. आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूची संधारित की जाये।
5. 65 वर्ष या उस से अधिक आयु के व्यक्ति, डायबिटीज़, हायपरटेंशन व अन्य असंचारी रोग से पीडित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन आयोजन में सम्मिलित नहीं किया जाना चहिये।
6. ऐसे व्यक्ति जिनमें कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित होते हो, आयोजन में सम्मिलित न हो।
7. समारोह का आयोजन यदि सम्भव हो तो खुले स्थान में ही किया जाये।
8. यदि खुले स्थान में आयोजन किया जाना सम्भव न हो तो हवादार कमरे में किया जाये जहाँ प्रवेश एवं निर्गम हेतु पृथक दरवाज़ा हो। एयरकंडिशनिंग/वेंटिलेशन के लिये, सी.बी.डब्ल्यु.डी. के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी एयरकंडिशनिंग उपकरणों का तापमान सेटिंग 24-30°C की सीमा में होना चाहिये, सापेक्ष आद्रता 40-70% की सीमा में होना चाहिये व ताजी हवा की और क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चहिये।
9. आयोजन स्थल पर आयोजनकर्ता द्वारा सेनेटाइज़र डिस्पेन्सर(जिसमें एल्कोहॉल की मात्रा 70% हो) एवं थर्मल स्क्रीनींग की व्यवस्था प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से की जाये। यदि हाथ प्रत्यक्षतः गंदे दिखते है तो हाथों को धोने के लिये पर्याप्त मात्रा में साबुन व पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चहिये।
10. समारोह स्थल के प्रमुख स्थानों पर कोविड-19 से बचाव से सम्बंधित जानकारी पोस्टर, फ्लेक्स आदि के माध्यम से की जाना चहिये।
11. आयोजन स्थल पर दो व्यक्तियों के बीच 2 मीटर(6 फीट) की दूरी बनाई जाना सुनिश्चित किया जाये। आयोजन स्थल पर पार्किंग स्थल पर फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चहिये ।
12. आयोजन स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का उपयोग किया जाना चाहिये। यदि मास्क उपलब्ध न हो तो दुपट्टा, गमछा रूमाल आदि का उपयोग कर चेहरे व नाक को ढका जाना सुनिश्चित करें ।

13. श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाये, इस बात का विशिष्ट रूप से ध्यान रखा जाये की सभी व्यक्ति आयोजन स्थल पर खांसते व छींकते वक्त मुंह व नाक को रूमाल या नेपकिन से ढांक ले और इस्तेमाल में लिये गये टिशु को चिन्हित डस्टबीन में ही फेंके। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिये की डस्टबीन का ढक्कन लगा हुआ होना चहिये।
14. आयोजन स्थल पर बार-बार सम्पर्क में आने वाले सतह जैसे कि दरवाजे के हेण्डल, हेण्ड रेल, बेंचेस को 1% सोडियम हापोक्लोराईट के घोल से विसंक्रमित करें एवं उपयोग में लिये गये मास्क व ग्लव्स के निष्पादन की व्यवस्था नियमानुसार की जाये।
15. आयोजन स्थल पर यदि सम्भव हो तो भोजन की व्यवस्था नहीं की जाये। यदि भोजन की व्यवस्था की जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाये की भोजन से पूर्व सभी व्यक्ति अपने हाथों को विसंक्रमित करें। हाथों को धोने के उपरांत हाथ पोंछने हेतु डिस्पोज़ेबल नेपकिन का उपयोग किया जाये एवं इस्तेमाल में लिये गये नेपकिन को चिन्हित डस्टबीन में ही फेंके। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिये की डस्टबीन का ढक्कन लगा हुआ होना चहिये।
16. आयोजन स्थल पर जिस जगह खाना बनाने की व्यवस्था की जाये वहाँ कम से कम व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाये व कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सभी नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
17. भोजन परोसने हेतु एक ही व्यक्ति को निर्धारित किया जाये एवं भोजन हेतु इस्तेमाल में डिस्पोज़ेबल पात्र का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।
18. आयोजन स्थल पर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन नियमानुसार किया जाना चहिये।

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायेम.प्र.

क्र./आई.डी.एस.पी/2020/ 919

भोपाल, दिनांक 23/06/2020

प्रतिलिपि- सूचनार्थ प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासनलोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासनलोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र.
4. सन्युक्त संचालक, आई.डी.एस.पी. शाखासंचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.
5. सन्युक्त संचालक, कोविड-19 कट्रोल रूम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये,म.प्र.
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये., म.प्र.
6. उपसंचालक, आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायेम.प्र.

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 30th May, 2020

ORDER

Whereas, an Order of even number dated 17.05.2020 was issued for containment of COVID-19 in the country, for a period upto 31.05.2020;

Whereas, in exercise of the powers under section 6(2)(i) of the Disaster Management Act, 2005, National Disaster Management Authority (NDMA) has directed the undersigned to issue an order to extend the lockdown in Containment Zones upto 30.06.2020, and to re-open prohibited activities in a phased manner in areas outside Containment Zones;

Now therefore, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act 2005, the undersigned hereby directs that guidelines, as ***Annexed***, will remain in force upto 30.06.2020.

30/05/2020
Union Home Secretary
and, Chairman, National Executive Committee (NEC)

To:

1. The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories

   (As per list attached)

Copy to:

i. All members of the National Executive Committee
ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority

Anne

National Directives for COVID-19 Management

1. **Face coverings:** Wearing of face cover is compulsory in public places; in workplaces; and during transport.
2. **Social distancing:** Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet (*2 gaz ki doori*) in public places.

   Shops will ensure physical distancing among customers and will not allow more than 5 persons at one time.
3. **Gatherings:** Large public gatherings/ congregations continue to remain prohibited.

   Marriage related gatherings : Number of guests not to exceed 50.

   Funeral/ last rites related gatherings : Number of persons not to exceed 20.
4. **Spitting in public places** will be punishable with fine, as may be prescribed by the State/ UT local authority in accordance with its laws, rules or regulations.
5. **Consumption of liquor, *paan, gutka*, tobacco etc**.in public places is prohibited.

Additional directives for Work Places

6. **Work from home (WfH):** As far as possible the practice of WfH should be followed.
7. **Staggering of work/ business hours** will be followed in offices, work places, shops, markets and industrial & commercial establishments.
8. **Screening & hygiene:** Provision for thermal scanning, hand wash and sanitizer will be made at all entry and exit points and common areas.
9. **Frequent sanitization** of entire workplace, common facilities and all points which come into human contact e.g. door handles etc., will be ensured, including between shifts.
10. **Social distancing:** All persons in charge of work places will ensure adequate distance between workers, adequate gaps between shifts, staggering the lunch breaks of staff, etc.

***

30/5/20